महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्बद्धता / 2021 / 4209-12 दिनांक : 02.09.2021

समयबद्ध / अति महत्वपूर्ण

अनुस्मारक–3

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालय (जिला–मुरादाबाद),
एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय– मुरादाबाद जनपद में महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा अपने महाविद्यालयों में नियुक्त प्रवक्ताओं को अप्रैल–2020 से वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक ई–6120 / 15–जी०एस० / 2020(मिस–IV) दिनांक 20.10.2020 एवं पत्रांक ई–7857 / 15–जी०एस० / 2020 (मिस–IV) दिनांक 15.12.2020 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर सूचनायें / अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–रू.वि. / सम्ब. / 2020 / 3290–92 दिनांक 07.11.2020, पत्र संख्या–रू.वि. / सम्ब. / 2020 / 3747–50 दिनांक 04.01.2021 एवं पत्र संख्या–रू.वि. / सम्ब. / 2021 / 1021 दिनांक 06.04.2021 के द्वारा निर्देश दिये गये थे, परन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा उक्त सूचनायें अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। उक्त के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये प्रश्नगत प्रकरण पर आख्या प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वाँछित सूचनायें प्रेषित किये जाने हेतु प्रारूप–

क्रम सं	महाविद्यालय का कोड	शिक्षक का नाम	पाठ्यक्रम / विषय का नाम	अनुमोदन तिथि	नियुक्ति तिथि	प्रतिमाह देय वेतन

1. अनुमोदन पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
2. नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र / शपथ पत्र फोटो सहित।
3. प्राचार्य / प्रवक्ताओं को प्रत्येक माह के वेतन भुगतान बैंक खाते की अन्तिम छः माह की प्रमाणित छायाप्रति।

अतः उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर आपके महाविद्यालय में नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों से सम्बन्धित सूचनायें एवं अभिलेख उपरोक्त प्रारूप पर तत्काल कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि सूचनायें राज्यपाल सचिवालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जा सकें, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. निजी सचिव–कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रभारी, वेबसाईट।
3. वैयक्ति सहायक–कुलसचिव।

कुलसचिव